

आवश्यकताएं), 2015 का नियम 47 के साथ प्रावधानों के अनुसार एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार, 13 नवंबर, 2017 को कारपोरेट कार्यालय में आयोजित होगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितंबर, 2017 को समाप्त तिमाही व छमाही के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन किया जायेगा। यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.bagfilms.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों www.euroasiaexportsltd.com व www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

दिनांक : 03.11.2017
स्थान : नोएडा

यूरो एशिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट सं. 3-ए, पहली मंजिल, बीएलके-X, लोहा मंडी, नरैना इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110028
वेबसाइट: www.euroasiaexportsltd.com
मेल: info@euroasiaexportsltd.com,
CIN: L51909DL1981PLC012621

सूचना
एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सेबी (सूचीकरण बाध्याता एवं प्रकटीकरण जर्नल) विनियमन, 2015 के विनियमन 29(1)(ए) के साथ पठित विनियमन 47 के अनुसार 30 सितंबर, 2017 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए आईएनडी एएस की आवश्यकतानुसार अनांकित वित्तीय परिणामों, सीमित समीक्षा रिपोर्ट एवं वेबसाइटों के विवरण के साथ अन्य पहलुओं पर अनुमोदन हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 04/207-18 सोमवार, 13 नवंबर, 2017 को अपराह्न 3:00 बजे होटल सिटी पार्क एयरपोर्ट नं. 49/2/1, एनएच-8 टोल प्लाजा के निकट, कापारोरा, नई दिल्ली-110037 में आयोजित होगी। इसके अनुपालन के तहत, कंपनी के अनुपालन अधिकारी ने ट्रेडिंग विंडो को 11 नवंबर, 2017 बंद कर 13 नवंबर, 2017 को वित्तीय विवरण को सार्वजनिक किए जाने के 48 घंटे के उपरांत खोलना का निर्णय लिया है। यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.euroasiaexportsltd.com पर भी उपलब्ध है।


यूरो एशिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के निदेशक मंडल के आदेशानुसार
हस्ता/-
शानू श्रीवास्तव
(कंपनी सचिव)
दिनांक : 04 नवंबर, 2017
स्थान : नई दिल्ली

अन्य पता:
साइट नं. 37, ब्ल्यूवर्ड एस.एल.एन. पाम फील्ड्स, सर्वे नं. 86 और 91/1, बेधागेरे गांव, दासनापुरा होबली, बेंगलोर नॉर्थ तालुक, बेंगलोर-560085 कर्नाटक
प्राप्तकर्ता नं.1
अन्य पता:
सीनियर ब्रांच मैनेजर
कर्नाटक बैंक लिमिटेड, रीजनल ऑफिस, नं.13(ए), पंज होम, 1ली मंजिल, एम-ब्लॉक, कर्नाट सर्कल, नई दिल्ली-110001

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला (ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लॉ) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है। उधार लेने वाले (लॉ) की ओर धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले (लॉ) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडों के भीतर निष्पादनेतर परिसर रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई हैं, उपर्युक्त को रखते हुए कंपनी एतद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले (लॉ) का आह्वान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर व्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दांति निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ सी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी। कृपया ध्यान दें कि कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, "कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्कीड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभास संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है। इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता।"। तथा विधि में कंपनी को उपलब्ध रूप से अन्य ऐसी भी कार्रवाइ जाएंगी की, आप यह जान लें कि, उधार लेने वाले (एकाधिक) पर एतद्वारा पृथक करने (अंतरण, विक्रय, पट्टे या अन्य प्रकार सहित) या तृतीय पक्ष का हि करने या कंपनी की विशिष्ट लिखित पूर्वनिर्णय के बिना किसी भी प्रकार से बंधक रखी गई संपत्ति का सोदा करने पर रोक लगाई जाती है। यह जान लें कि, इन उल्लंघन करने पर एक वर्ष की अवधि तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।

अनुसूची ए
(सुरक्षित आस्ति का वर्णन)
आवास में रूपांतरित साइट नं.37 क्षेत्रफल 1800 वर्ग फुट, जो ब्ल्यूवर्ड एस.एल.एन. पाम फील्ड्स, सर्वे नं. 86 और 91/1 में स्थित है, बेधा दासनापुरा होबली, बेंगलोर नॉर्थ तालुक में स्थित 13-37 गुंटा जमीन जो नेलामंगल प्लानिंग अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में आती है, जिसने लेड मंजूरी दी है और लेआउट में 40% साइट का रिलीज जारी किया है, का सारा खंड और हिस्सा. साइट नं. 37 जो पूर्व से पश्चिम 18.29 मीटर और दक्षिण 9.14 मीटर तथा कुल मिलाकर 167.17 वर्ग मीटर की सीमा में है तथा निम्नानुसार सीमाबद्ध है:
पूर्व में : निजी संपत्ति
पश्चिम में : सड़क
उत्तर में : साइट नं. 36
दक्षिण में : साइट नं. 38
स्थान: बेंगलोर/ तुमकुर (कर्नाटक)/ नई दिल्ली

कृते इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइ प्राधिकृत अ



लाभ उठाये

विविध समाचार के पन्ने पर छपते हैं क्षेत्रीय मंडियों या फिर तेल-तिलहन का हाल। सब कुछ मिलेगा क्षे